

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला ब्राइमेर

राजस्व आवेदन सं. 88/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गुणेश वगैरा बनाम तेजा वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री उदयभानुसिंह राठौड़

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय

दिनांक - 13/6/17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प सत्राण्ड में पेश हुई। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा निम्बली, पटवार हल्का सणाऊ तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 6 रकबा 119.05 बीघा, मौजा गोलियार पटवार हल्का सणाऊ के खसरा सं. 111 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 112 रकबा 96.04 बीघा, मौजा सुरते का तला पटवार हल्का तारातरा मठ के खेत खसरा सं. 527 रकबा 162.00 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा निम्बली, पटवार हल्का सणाऊ तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 6 रकबा 119.05 बीघा, मौजा गोलियार पटवार हल्का सणाऊ के खसरा सं. 111 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 112 रकबा 96.04 बीघा, मौजा सुरते का तला पटवार हल्का तारातरा मठ के खेत खसरा सं. 527 रकबा 162.00 बीघा भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरिक्षक चौहटन, तारातरा को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सणाण्ड में दिनांक 13/6/17 सुनाया गया ।



(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाडमेर

कमांक/भू.अ./2017/1630

दिनांक:- 10/7/17

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक
तारातरा, चौहटन

प्रार्थीगण :-

1. गुणेशा पुत्र गोमा
एवं विप्रार्थी सं. 2 से 19
जाति रबारी, निवासी गोलियार
तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण :-

1. तेजा पुत्र देदाराम
एवं विप्रार्थी सं. 2 से 35
निवासी गोलियार, तहसील चौहटन
36. तहसीलदार चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 88/2017

दिनांक : 13/6/17..

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा निम्बली, पटवार हल्का सणाऊ तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 6 रकबा 119.05 बीघा, मौजा गोलियार पटवार हल्का सणाऊ के खसरा सं. 111 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 112 रकबा 96.04 बीघा, मौजा सुरते का तला पटवार हल्का तारातरा मठ के खेत खसरा सं. 527 रकबा 162.00 बीघा भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीश्नर फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक पेश करे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।



कमांक/भू.अ./2017/1631-35
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार चौहटन
- 2 संबंधित पटवारी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थीगण गुणेशा वगैरा
- 4 विप्रार्थीगण तेजा वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(भागीरथराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक:- 10/7/17

(भागीरथराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन